

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी मोटर मार्ग का वन्यप्रि प्रताप उत्तराखण्ड लोक निर्माण शिखाना को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रतापित बागेश्वर क्षेत्र के लोकों द्वारा योजना के किमी 10 से प्रारम्भ होता है जो हरसीला एवं सीमा यार्ग को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 600 है। प्रस्तापित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। यातायात में गाँव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। यार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही ये अपने पार और बद्वयों को अधिक समय दे पाएंगी। जिससे कि वन्यों का लालन पालन तथा पठन-पाठन ठीक से होगा तथा कृपापूर्ण जैरी गारी समस्या दूरी हो पाएगी। गाँव में विद्युतालय खुलने के लिए नए अवसर आएंगे। ग्रामवारी अपने उत्पादित कल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक दिना किसी कठिनाई से ले जा पाएंगे साथ ही गाँव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह सरेखण सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि से होकर युजता है। अन्य किसी शेषी की भूमि प्रमाणित नहीं होती है। सरेखण के अलावा कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी 10 साथ मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.912 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.607 है एवं नापभूमि 1.080 हेक्टेयर प्रमाणित होती है।

उक्त प्रयोजनाये इस भूमि हेतु न्यूनतम सरेखणों पर विचार किया गया है।
समरेखन नं०-१ इस समरेखन के अनुसार इस मार्ग का सरेखन बागेश्वर क्षेत्र के लोकों द्वारा किमी 10 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 10 नए हियर पिन लैप्ट पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ये ड सरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवारी एवं जनप्रतिनिधि राहमत है। वृक्षों की साल्या कम है।

समरेखन नं०-२ इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखन खल वांखेवर क्षेत्र के लोकों द्वारा किमी 10 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 4.50 किमी होती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखन में अधिक वृक्ष प्रगतित हो रहे हैं। मार्ग में 11 नए हियरपिन लैप्ट पड़ते हैं, तकनीकी दृष्टि से ये ड सही नहीं मिलता तथा समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखन नं०-२ को निरस्त कर समरेखण नं०-१ को अधीक्षण अधिकता द्वारा अनुगोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.912 हेक्टेयर, यार्ग पंचायत भूमि 0.607 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 1.080 हेक्टेयर प्रमाणित होती है जो चूनातम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी 9 चौड़ाई 9 मीटर ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.00 मीटर चौड़ाई में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल ५८ डिग्रिं जोन जिनकी चौड़ाई 1.50 मीटर है तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी

ऊचाई 2.00 से 3.00 मीटर के बीच है प्रस्तापित किये गये हैं। मार्ग निर्माण 6.00 मीटर चौड़ाई में किया जायेगा।

तथा इसके पश्चात खड़ लाईड साईड में रिक्त 1.50 मीटर चौड़ाई के डिग्रिं जोन में गलवा निरतारण किया जायेगा।

इस प्रकार सामर्त पांचों डिग्रिं जोन में 6.00 मीटर निर्माण एवं खड़ लाईड में 1.50 मीटर कुल 7.50 मीटर चौड़ाई में भूमि प्राप्ति होगी तथा गलवा निरतारण खड़ जा क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मीटर चौड़ाई में समिलित है।

अतः प्रमाणित यन्मुकि का हस्तान्तरण प्रस्ताव रपीकृत करने की कृपा करें।

*रामेश्वर मार्ग समरेखण
कामिल अधिकारी*
निर्माण खण्ड, लोनिनियो,
कामनोट

*रामेश्वर मार्ग समरेखण
कामिल अधिकारी*
निर्माण खण्ड, लोनिनियो,
कामनोट

*रामेश्वर मार्ग समरेखण
कामिल अधिकारी*
निर्माण खण्ड, लोनिनियो,
कामनोट

*रामेश्वर मार्ग समरेखण
कामिल अधिकारी*